न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 58 / 2024	2024 / 140	10.06.2024	06.08.2024

1. रणजीत सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी मुलतान नगर, अलवर हाल काश्तकार बीजवा तह0 नौगांवा जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. मंजीत सिंह पुत्र इन्दरसिंह पौत्र हरिसिंह
2. गुरूविन्दरसिंह पुत्र इन्दरसिंह पौत्र हरिसिंह
3. नवप्रीतकौर पुत्री गुरूदीपसिंह पौत्री हरिसिंह
4. गुनीत कोर पुत्री गुरूदीपसिंह पौत्री हरिसिंह
5. बलविन्दर कौर पत्नी स्व0 गुरूदीपसिंह पुत्रवधु हरिसिंह जातियान ब्राह्मण सिख निवासीयान ग्राम बीजवा तह0 नौगांवा जिला अलवर हाल निवासी डब्ल्यू जेड—304, गली नं0 17, शिव नगर, जेल रोड नई दिल्ली—110058
6. उप—पंजीयक महो0 नौगांवा तह0 नौगांवा जिला अलवर राज0।

— असल अप्रार्थीगण

7. परमजीत कौर पत्नी श्री जोगेन्द्र जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम रामगढ़ तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री संतोष कुमार बंसल —वकील प्रार्थी
02—श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अप्रार्थीगण 1 लगा0 5

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के प्रकरण बउनवान रणजीत सिंह बनाम मंजीत सिंह वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 09.07.2024 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण बअनुवान रणजीत सिंह बनाम मंजीत सिंह वगैरा मु0नं0 01 / 338 / 2023 अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी वादी सायल ने तहत अदालत में दावा असल अप्रार्थीगण के खिलाफ उक्त दावा पेश कर रखा है, जिसमें असल अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है तथा असल प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना जवाब एवं प्रार्थना—पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 में मनमाने तथ्य अंकित करते हुए पेश किया है, जिस प्रा0पत्र का जवाब मिन वादी सायल के द्वारा नियमानुसार तारीख पेशी पर पेश किया जाएगा। असल प्रतिवादीगण प्रभावशाली व राजनैतिक व शक्तिशाली लोग हैं जिन्होंने पीठासीन अधिकारी से अपना बेजा मेल रसूख मिला लिया है व पीठासीन अधिकारी, असल प्रतिवादीगण के कहे अनुसार उक्त प्रकरण में दिनांक 07.05.2024 की पेशी पर इकजाई तारीख पेशी दि0 09.07.2024 नियत की गई थी, के बावजूद भी असल प्रतिवादीगण से साजबाज होने के कारण मनमाने तारीख पेशी दि0 21.05.2024 की आदेशिका ड्रॉ कर दी गई तथा उसके पश्चात् दि0 19.06.2024 नियत की गई है। असल प्रतिवादीगण द्वारा अपने मिलने वाले व्यक्तियों तथा स्वयं के माध्यम से मिन वादी सायल को दि0 21.05.2024 को ऐलानिया धमकी दी कि हमारी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है तथा आज तक हम प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 को मंजूर कराकर आपका वाद खारिज करा देगें। जिस पर मिन प्रार्थी वादी सायल को असल प्रतिवादीगण की बातों पर शक

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

होने के कारण तहत अदालत में दि0 21.05.2024 को हाजिर होकर मुकदमे के बारे में जानकारी की तो पता चला कि असल प्रतिवादीगण द्वारा दी गई धमकी अनुसार मनमाने रूप से दि0 21.05.2024 की पेशी नियत करवा रखी है जिस बाबत मिन प्रार्थी वादी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी को शिकायत की गई तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मिन प्रार्थी वादी को अपने चेम्बर में बुलवाकर डराया, धमकाया तथा साफ शब्दों में पीठासीन अधिकारी ने मिन प्रार्थी से कहा कि या तो अपना मुकदमा वापिस ले ले वरना आज ही असल प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का मंजूर करते हुए तुम्हारा दावा खारिज कर दूंगी। मिन प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 07.05.2024 से इकजाई पेशी दि0 09.07.2024 की नियत की गई तो उक्त पेशियां किस प्रकार लगा दी गई तो अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बामुश्किल मिन प्रार्थी से आदेशिका पर हस्ताक्षर कराते हुए आगामी पेशी दि0 19.06.2024 नियत की गई। मिन वादी प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में प्रतिवादी नं0 1 आते जाते हुए अपनी आंखों से देखा है व पीठासीन अधिकारी मुकदमा हाजा में एक माह में दो–दो पेशियां लगाते हैं, जबकि अन्य प्रकरणों में दो–दो, तीन–तीन माह की पेशियां लगाते हैं, पीठासीन अधिकारी ने मौजूदा प्रकरण को मर्डर का केस बना रखा है व पीठासीन अधिकारी ने अपनी राय का सरेइजलाश इजहार कर दिया है कि मुकदाम आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की ताईद में खारिज करके छोडूंगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रा0 पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 01/338/2023 बअनुवानी रणजीत सिंह बनाम मंजीत सिंह वगैरा आगामी तारीख पेशी 09.07.2024 को दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने लिखित बहस निवेदन किया कि यह सही है कि प्रार्थी वादी सायल ने तहत अदालत में दावा असल अप्रार्थीगण के खिलाफ उक्त दावा पेश कर रखा है, जिसमें असल अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है, बाकी लेख गलत है। हम असल प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना जवाब एवं प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 वास्तविक तथ्य अंकित करते हुए पेश किया गया है, लेकिन वादी सायल द्वारा उक्त प्रा0पत्र का जवाब बतौर बदयान्ति पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी वादी ने समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढंत दर्ज किये हैं, जो वादकारण पैदा करने व प्रा0पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किये हैं। प्रा0पत्र का चरण 3 जिस कदर बयान किया गया है, गलत है। हम असल प्रतिवादीगण प्रभावशाली व राजनैतिक व शक्तिशाली लोग नहीं है, ना ही हमने पीठासीन अधिकारी से अपना बेजा मेल रसूल मिल लिया है, ना ही पीठासीन अधिकारी द्वारा हम असल प्रतिवादीगण के कहे अनुसार उक्त प्रकरण में दि0 07.05.24 की पेशी पर इकजाई तारीख पेशी दि0 09.07.24 नियत की गई थी ना ही उसके बावजूद भी असल प्रतिवादीगण से साज बाज होने के कारण मनमाने तारीख पेशी दि0 21.05.24 की आदेशिका ड्रॉ कर दी गई तथा उसके पश्चात दि0 19.06.24 नियत की गई है, बल्कि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी वादी ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी व हम असल अप्रार्थीगण पर झूठे व निराधार आरोप लगाये हैं। पीठासीन अधिकारी हमारे प्रभाव व दबाव में नहीं हैं, ना पीठासीन अधिकारी द्वारा हमारा कोई सहयोग किया जा रहा है, ना हमारे कहे अनुसार पेशी नियत की जाती है। प्रा0पत्र का चरण सं0 4 गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थी वादी चरण हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढंत दर्ज किये हैं, जो वादकारण पैदा करने व प्रा0पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किये हैं। हम असल प्रतिवादीगण गैरसायलान द्वारा अपने मिलने वाले व्यक्तियों तथा स्वयं के माध्यम से वादी सायल को दि0 21.05.24 को कोई किसी प्रकार की ऐलानिया धमकी नहीं दी और हम असल प्रतिवादीगण ने मनमाने रूप से दि0 21.05.24 की पेशी नियत नहीं कराई। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी वादी सायल व पीठासीन अधिकारी के मध्य चरण हाजा अनुसार कोई घटना या वार्तालाप होने के बारे में हम असल प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रा0पत्र का चरण 5 जिस कदर बयान किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। मिन असल प्रतिवादी सं0 1 की तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान नहीं है, ना ही पीठासीन अधिकारी से कभी कोई संपर्क उनके चेम्बर में जाकर किया है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीनी तहत अदालत से प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहते हैं और मुकदमा को देरीना करने की नियत से प्रा0पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश किया गया है अन्यथा प्रार्थी वादी को अदालत श्रीमान में प्रा0 पत्र मुंतकिली पेश करने के लिए हम असल प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वादकारण पैदा नहीं होता है। प्रार्थी वादी चरण हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढंत दर्ज किये हैं, जो वादकारण पैदा करने व प्रा0पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किये हैं। प्रार्थी वादी ने मुकदमा को मुन्तकिल किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित दर्ज नहीं किया है, मौखिक अभिवचन की कोई मान्यता नहीं है। प्रार्थी वादी को प्रा0पत्र मु0 मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश करने के लिए कोई वादकारण पैदा नहीं होता है। प्रार्थी वादी ने प्रा0पत्र दुर्भावनापूर्वक पेश किया है, कोई नेकनियती नहीं है। मुकदमा मुंतकिल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। मुकदमा को तहत अदालत से किसी दीगर अदालत में मुंतकिल किये जाने से पक्षकारान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में काफी परेशानी होगी एवं काफी समय लगेगा तथा अनावश्यक खर्चा लगेगा, जिससे सुलभ, सस्सा एवं त्वरित न्याय प्राप्त होने में विलंब होगा। मुकदमा दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने से हम असल अप्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली हानि होगी। प्रार्थी वादी हम असल अप्रार्थीगण से कोई अनुतोष प्राप्त करने का नैतिक एवं विधिक रूप से अधिकारी नहीं है। प्रा0पत्र मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थी मौजूदा सूरत में हम असल अप्रार्थीगण के खिलाफ पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य है, खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी वादी हम असल अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रा0पत्र मुन्तकिली मुकदमा दायर करने के लिए कोई वादकारण, बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा नहीं होते हैं। प्रार्थी ने दुर्भावनापूर्वक हम असल अप्रार्थीगण को नाहक तंग परेशान करने व मुकदमेबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने की मंशा से मिथ्या व बेबुनियाद प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश किया है, जो मय हर्जा खर्चा 50,000/– रूपये सहित खारिज किये जाने योग्य है, खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी ने तहत अदालत में दावा गलत तथ्यों को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने दावा एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती कराने का अनुतोष चाहा है, जबकि कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्व अभिलेख में किसी तरह की दुरूस्ती नहीं कराई जा सकती है। प्रार्थी ने वाद पत्र में स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अनुतोष चाहा है, कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने तहत अदालत में वाद पत्र में तथाकथित वचन पत्र दि0 09.09.1969 के आधार पर आराजी का बेचान प्रार्थी को किये जाने का कथन करते हुए, स्वयं को क्रेता बताया है। तथाकथित वचन पत्र फर्जी व कूटरचित है। अप्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐलानिया बयान नहीं किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य झूठे एवं मनगढंत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रा0पत्र के पैरा सं0 1 में दर्ज उक्त उनवानी दावा बउनवान रणजीत सिंह बनाम मनजीत सिंह मु0नं0 01/338/2023 आगामी तारीख पेशी 19.06.24 नियत थी, वर्तमान में आ0ता0पे0 18.07.24 नियत है। बाकी लेख गलत है। सही तथ्य इस प्रकार से है कि दि0 07.05.24 को पक्षकार का पुत्र स्वयं हाजिर अदालत था जिसके ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर है। पक्षकार को सुनने के बाद आ0ता0पेशी दि0 21.05.24 नियत की गयी थी। प्रा0पत्र के पैरा सं0

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

2 के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा ऑर्डर 07 नियम 11 प्रा0पत्र पेश किया गया है जिसका वादी द्वारा करीब सात माह आज दिन तक जवाब पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद व आधारहीन है। प्रा0पत्र के पैरा सं0 3 में दर्ज तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है। न्यायालय द्वारा जो भी तारीख पेशी दी गयी है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दी गई है। वादी के पुत्र के हस्ताक्षर ऑर्डरशीट पर अंकित है। प्रा0पत्र के पैरा सं0 04 में दर्ज तथ्य बेबुनियाद एवं आधारहीन है, गलत है, स्वीकार योग्य नहीं है। प्रा0पत्र के पैरा सं0 05 में दर्ज तथ्य बेबुनियाद एवं आधारहीन है, गलत है, स्वीकार योग्य नहीं है। यह किसी नियम में उल्लेखित नहीं है कि किसी वाद में एक माह में दो पेशी नहीं लगा सकते है, आरोप बेबुनियाद है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद व गलत हैं। पत्रावली की ऑर्डरशीट पर तारीख पेशी छोटी करने हेतु कोई कटिंग नहीं है तथा प्रार्थी/वादी की उपस्थिति में ही तारीख पेशी दी गई थी तथा 07.05.24 को लगायी गई तारीख पेशी 21.05.24 को प्रार्थी/वादी की उपस्थिति में लगायी गई थी तथा जिस ऑर्डरशीट पर प्रार्थी/वादी के पुत्र के हस्ताक्षर है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जावे। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राज0)
राजस्थान